न्यायालय उप जिलाधिकारी " सदर " जौनपुर
वाद संख्या 17 सन् 2007
श्रीमती सोनपत्ती देवी मैमोरियल मेडिकल ट्रस्ट
जगन्नाथ पट्टी, जगदीशपुर, जौनपुर

अन्तर्गत धारा 143 ज वि एवं भूमि व्य0
अधिनियम ग्राम - महरूपुर
परगना - जफराबाद
तहसील - सदर, जौनपुर

आदेश

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर जौनपुर से आख्या प्राप्त की गयी । तहसीलदार सदर द्वारा निरीक्षणोपरान्त नियम 135 (1) ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आख्या प्रेषित की गयी जिसमें आराजी नं. 61 रकबा 0.198 एवं 0.131½ हे0, .65 रकबा 0.049 हे0, 55 रकबा 0.231 हे0, 52 रकबा .101 एवं 49 रकबा 0.117 हे0 स्थित ग्राम - महरूपुर परगना - जफराबाद मौके पर गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग में है । उक्त भूखण्ड पर दो मंजिला भवन का निर्माण हो रहा है । ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि का प्रयोजन आबादी का हो चुका है । अतः धारा 143 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषक / आबादी घोषित किए जाने में कोई वैधानिक अवरोध प्रतीत नहीं होता है ।

अतः ग्राम - महरूपुर परगना - जफराबाद तहसील - सदर, जिला-जौनपुर में स्थित उपरोक्त आराजी नम्बर तथा रकबा पर आवेदक का नाम यथावत रखते हुए भू राजस्व से मुक्त करके आबादी घोषित किया जाता है । इस आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, जौनपुर को नियम 137 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाने हेतु प्रेषित कर दिया जाय । तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक: 02-07-07

उप जिलाधिकारी " सदर "
जौनपुर ।